फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री दिलीपसिंह पिता श्री रतनसिंह राठौड़ निवासी सैलीमाता कोलोनी देसूरी जिला पाली

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 09/2019**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.03.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक रसद/आर0टी0आई0/अपील/2019–20/1002–1003 दिनांक 22.03.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 01 जनवरी 2018 से आज दिनांक तक जिला रसद कार्यालय के अधीन कितनी दुकाने है उनके नाम, पते व लाईसेन्स नम्बर की सूची व कब–कब निरीक्षण किया गया व क्या कमी पाई गयी व कितनी रिकवरी की गई की सूचना चाही गई थी, जिस पर कार्यालय द्वारा उक्त सूचना तैयार की जाकर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित राशि 96.00 रूपये जमा करवाने हेतु कार्यालय के पत्रांक 525 दिनांक 13.02.2019 द्वारा लिखा गया था, किन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक निर्धारित राशि कार्यालय मद मे जमा नहीं करवाई गई है। प्रार्थी को निर्धारित राशि जमा करवाने हेतु दिनांक 19.03.2019 को श्री रणजीत सिंह सिसोदिया प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मोबाईल नम्बर 9462554304 पर भीम सूचित किया गया था, फिर भी प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इस कारण प्रार्थी को तैयार सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी है। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 19.01.2019 के संदर्भ में प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 525 दिनांक 13.02.2019 से निर्धारित राशि 96/–रूपये जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था किन्तु	